न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 223/2014

वादीगण :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. नरेन्द्रसिंह पुत्र भीमसिंह
जाति-पुरोहित निवासी-तालकिया
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

1. महेन्द्रसिंह पुत्र भीमसिंह
2. प्रकाशचन्द पुत्र भीमसिंह
3. हीरसिंह पुत्र भूरसिंह
4. पारससिंह पुत्र भूरसिंह
समस्त जतियान-पुरोहित
निवासीयान-ग्राम तालकिया
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 टिनेन्सी एक्त एवं धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम ,1955 तारीख रजूः.11/11/2014

उपस्थितः- 1. श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता, वादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 17/06/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 टिनेन्सी एक्ट एवं सपठित धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-तालकिया, पटवार हल्का-पिपलियांखुर्द, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राजस्थान) में खसरा नम्बर 351 रकबा 7-16 बीघा किस्म चाही चारम की संयुक्त खातेदारी भूमि स्थित हैं। जिसे इस वाद में आगे विवादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया हैं। यह कि वाद-पत्र के पद नम्बर 1 में वर्णित भूमि संयुक्त कृषि भूमि होने के साथ-साथ वादी की खरीदसूदा भूमि को वादी के पिता भीमसिंह ने खरीद किया तथा वक्त खरीद व पंजीबद्ध बेचान वादी के पिता ने उक्त भूमि की रजिस्ट्री अपने तीनों पुत्र वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अवयस्क थे, जिसका इन्द्राज भी वर्तमान जमाबंदी में बदस्तूर जारी हैं। उक्त वर्णित भूमि की खरीद के पश्चात जब वादी के पिता ने वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से उक्त भूमि की रजिस्ट्री करवाई तब वादी का नाम नरपतसिंह दर्ज करवा दिया था, क्योंकि वादी को घर में बोलते नाम नरपतसिंह के नाम से पुकारते थे। जबकि वादी के सरकारी एवं अर्द्धसरकारी रिकार्ड में जैसे स्कूल रिकार्ड, राशन कार्ड, पहचान-पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस इत्यादि एवं अन्य खातेदारी भूमियों के रिकार्ड में वादी का सही नाम नरेन्द्रसिंह दर्ज है। इन सभी दस्तावेजात की फोटो प्रतियाँ वाद के साथ पेश की हैं, जिसे वाद-पत्र का एक भाग माना जावे। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम नरपतसिंह को हटवाकर अपने अन्य सरकारी एंव अर्द्धसरकारी व अन्य राजस्व रेकार्ड के अनुसार एवं आधार पर नरपतसिंह के स्थान पर नरेन्द्रसिंह नाम दर्ज किये जाने की घोषणा करवाने का विधिक रूप से वादी अधिकारी है एवं वादी सही नाम व अन्य सरकारी एवं अर्द्धसरकारी रिकार्ड के अनुसार नरपतसिंह के स्थान पर नरेन्द्रसिंह दर्ज करवाने का कानूनी अधिकारी हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड में दर्ज नाम नरपत सिंह को वादी के अन्य राजस्व रेकार्ड व राशनकार्ड, पहचान-पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, सरकारी एवं अर्द्धसरकारी रिकार्ड के आधार पर हटाया जाकर नरपतसिंह के स्थान पर नरेन्द्रसिंह दर्ज किये जाने की घोषणा किया जाना

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

न्यायतन आवश्यक एवं न्यायहित में है। वादी ने बैंक से ऋण हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नकले सम्बन्धित पटवारी से प्राप्त की, तब वादी से यह ज्ञात हुआ कि वाद–पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रेकार्ड में उसका नाम नरपतसिंह दर्ज हैं, जो गलत व रोंग एन्ट्री है एवं वादी अब बालिग हो गया हैं। इस प्रकार वादी को यह वाद–पत्र अपने सही नाम दर्ज की घोषणा करवाने एवं राजस्व रेकार्ड में नाबालिग के स्थान पर बालिग दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत करना पड़ा है। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं. 5 तहसीलदार जैतारण वादग्रस्त भूमि के लैण्ड होल्डर हैं, जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि है व उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया हैं। उनके विरुद्ध कोई रिलीफ नही चाही हैं। प्रस्तुत वाद का वाद कारण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में दिनांक 14/07/2014 को उत्पन्न हुआ, जो दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रखा है। उपरोक्त कारण से वादी के हक में प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है। उपरोक्त कारणो से वादी के हक में सुविधा का सन्तुलन है। प्रस्तुत वाद का कारण माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में उत्पन्न होने से माननीय न्यायालय को सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार प्राप्त हैं।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–पिपलियाखुर्द में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की तलबी नहीं हुई हैं। सहखातेदार प्रतिवाद सं. 1 से 4 को पक्षकार बनाया गया हैं। जबकि प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अभिलेख के तहत् भी प्रस्तुत किया हैं। प्रतिवादी सं. 5 तहसीलदार स्वयं राजस्व लोक अदालत में उपस्थित हैं। तहसीलदार ने जाहिर किया कि वादी का सही नाम दर्ज कर दिया जावें, तो कोई आपति नहीं हैं। पटवारी हल्का ने लिखित में पेश किया कि वादी नरेन्द्रसिंह को बोलचाल की भाषा में नरपतसिंह कहते हैं। वादी ने नरेन्द्रसिंह के सबूत में राशनकार्ड, मूलनिवास प्रमाण–पत्र, निर्वाचन आयोग का पहचान–पत्र, आधार कार्ड एवं सेकण्डरी स्कूल के प्रमाण–पत्र की फोटो कॉपी पेश भी पेश की हैं। वादी का सही नाम नरेन्द्रसिंह हैं, जो दुरूस्त करना आवश्यक हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 4 का कोई अनुतोष नहीं हैं।

–:: आदेश ::–

अतः डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा–तालकिया, पटवार हल्का–पिपलियांखुर्द, तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राजस्थान) में खसरा नम्बर 351 रकबा 7–16 बीघा किस्म चाही चारम में नरेन्द्रसिंह वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। नरपतसिंह के स्थान पर नरेन्द्रसिंह नाम जोड़ा जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 17/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–पिपलियाखुर्द पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादीगण :- बनाम प्रतिवादीगण :-

वादीगण	प्रतिवादीगण
1. नरेन्द्रसिंह पुत्र भीमसिंह जाति-पुरोहित निवासी-तालकिया तह.-जैतारण, जिला-पाली (राज.)	1. महेन्द्रसिंह पुत्र भीमसिंह 2. प्रकाशचन्द पुत्र भीमसिंह 3. हीरसिंह पुत्र भूरसिंह 4. पारससिंह पुत्र भूरसिंह समस्त जतियान-पुरोहित निवासीयान-ग्राम तालकिया तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 टिनेन्सी एक्ट एवं धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम ,1955 — मु0न0ःरा0वा0 स0:223/2014

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-......... व हाजरी श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौंजा-तालकिया, पटवार हल्का-पिपलियांखुर्द, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राजस्थान) में खसरा नम्बर 351 रकबा 7-16 बीघा किस्म चाही चारम में नरेन्द्रसिंह वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। नरपतसिंह के स्थान पर नरेन्द्रसिंह नाम जोड़ा जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ... .-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 17/06/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मोहर

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	65-00	महनताना वकील	
महनताना वकील	- -	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	- -	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजानः-	68-00	मिजानः-	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner